झारखण्ड विधान सभा

अल्प सूचित प्रश्नों की सूची

तृतीय झारखण्ड विधान–सभा
त्रयोदश(बजट)–सत्र
वर्ग–02

निम्नलिखित अल्प–सूचित प्रश्न, मंगलवार, दिनांक 06 फाल्गुन,1935(श0) को 25 फरवरी,2014 (ई0) झारखण्ड विधान सभा के आदेश–पत्र पर अंकित रहेंगे :–

क्रमांक	विभागों को संसूचित की गई सां0संख्या	सदस्य का नाम	संक्षिप्त विषय	संबंधित विभाग	विभागों को भेजी गई तिथि
01.	02.	03.	04.	05.	06.
तारांकन					
91	अ0सू0– 24	श्री प्रदीप यादव	शिक्षक की नियुक्ति	मानव संसाधन	20.02.14
92	अ0सू0– 15	श्री अरविन्द कु0 सिंह	राशि उपलब्ध कराना	मानव संसाधन	17.02.14
93	अ0सू0– 30	श्री कमल किशोर भगत	शारीरिक शिक्षक एवं खेल पदाधिकारी की नियुक्ति	कला संस्कृति खेल कूद एवं युर्वा कार्य	21.02.14
94	अ0सू0– 28	श्री विष्णु प्रसाद भैया	ईकाइयों को पुनः चालू कराना	उद्योग	20.02.14
95	अ0सू0– 27	श्री दीपक बिरूवा	दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई	खनन् एवं भूतत्व	20.02.14
96	अ0सू0– 05	श्री विनोद कुमार सिंह	सुविधा मुहैया कराना	मानव संसाधन	16.02.14
97	अ0सू0– 22	श्री बंधु तिर्की	पेंशन योजना का लाभ देना	मानव संसाधन	20.02.14
98	अ0सू0– 29	श्री चन्द्रेश्वर प्र0 सिंह	वेतन का भुगतान	मानव संसाधन	20.02.14
99	अ0सू0– 25	श्री बंधु तिर्की	सरकारी सेवा में समायोजित करना	मानव संसाधन	20.02.14
100	अ0सू0– 23	श्री निजामुद्दीन अंसारी	तकनिकी कॉलेज खोलने के संबंध में ।	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	20.02.14

राँची,
दिनांक–25 फरवरी,2014 (ई0)।

सुशील कुमार सिंह
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा।

कृ0पृ0उ0..... /

ज्ञापांक– 753 /वि0स0, राँची, दिनांक– 22/2/14

प्रतिलिपि :– झारखण्ड विधान सभा के माननीय सदस्यगण/मा0 मुख्यमंत्री/मा0 मंत्रिगण/मा0 संसदीय कार्य मंत्री/मा0 नेता प्रतिपक्ष, झारखण्ड विधान सभा/ मुख्य सचिव तथा माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव एवं झारखण्ड सरकार के सभी विभागो के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 22/02/14

(सुरेश रजक)
अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञापांक– 753 /वि0स0, राँची, दिनांक– 22/2/14

प्रतिलिपि :– माननीय अध्यक्ष महोदय के आप्त सचिव/ निजी सहायक, सचिवीय कार्यालय/ अपर सचिव/संयुक्त सचिव (प्रश्न) झारखण्ड विधान सभा को क्रमशः माननीय अध्यक्ष महोदय/प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

सुरेश 22/02/14

अवर सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

बहादुर/ 22/02

श्री प्रदीप यादव, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-24

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि राज्य के प्राथमिक, मध्य एवं उच्च विद्यालयों में शारीरिक शिक्षा, संगीत, ललित कला एवं समाजोत्पादक कार्य अनुदेशक/शिक्षक के हजारों पद स्वीकृत है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। प्राथमिक विद्यालयो में शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत नहीं है। राज्यान्तर्गत मात्र 97 मध्य विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद स्वीकृत है, जिनके विरुद्ध 43 शिक्षक कार्यरत हैं। निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम, 2009 के अन्तर्गत मध्य विद्यालयों के कक्षा-6 एवं कक्षा-8 के 100 बच्चों की संख्या पर अंशकालिक रूप में स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा अनुदेशक की व्यवस्था करनी है तथा सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत इस हेतु 3663 अंशकालिक अनुदेशक का प्रावधान स्वीकृत किया गया है। उच्च विद्यालयों में विषयवार शिक्षक, शारीरिक शिक्षक, संगीत शिक्षक का पद रिक्त है।
2	क्या यह बात सही है कि उपरोक्त विद्यालयों मे वर्षो से नियमित बहाली के अभाव में स्कूली छात्र-छात्राओं के उपरोक्त विषयक का सही लाभ नही मिल रहा है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है।
3	क्या यह बात सही है कि बिना खेल अनुदेशक के ही सरकार द्वारा राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्कूली खेल प्रतियोगिता का आयोजन कराया जाता रहा है।	मानव संसाधन विकास विभाग से संबंधित नहीं है।
4	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अविलम्ब उपरोक्त पदों पर नियुक्ति करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	शिक्षकों की नियुक्ति की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-63/2014.....372...../ दिनांक.....22/02/2014

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

92

श्री अरविन्द कुमार सिंह, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-15

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि सरायकेला-खरसांवा जिला अन्तर्गत नीमडीह प्रखंड के शिवानन्द उच्च विद्यालय चालियामा एवं बामनी उच्च विद्यालय कुतुगा में चाहरदीवारी एवं शौचालय नही होने के कारण छात्र-छात्राओं, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारी को अत्याधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। जिला शिक्षा पदाधिकारी, सरायकेला खरसावां से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार शिवानन्द उच्च विद्यालय में 2 शौचालय एवं बामनी उच्च विद्यालय, केतुंगा में 1 शौचालय चालू अवस्था में है।
2	यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार चालू वित्तीय वर्ष में उपरोक्त विद्यालयों के लिए राशि (निधि) उपलब्ध कराते हुए शौचालय एवं चाहरदीवारी का कार्य पूर्ण कराने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों?	शौचालय के संदर्भ में खंड-1 में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है। प्रथम चरण में विद्यालयों को भवन की सुविधा उपलब्ध कराने की योजना है। तत्काल विद्यालयों की चाहरदीवारी निर्माण कराने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

24/2/14

-झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-55/2014.....349...../ दिनांक.....21-02-2014.....

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
-झारखंड, राँची।

(93)

श्री कमल किशोर भगत, स0वि0स0 द्वारा चलते अधिवेशन में दिनांक 25.02.2014 को पूछा जाने वाला अल्पसूचित प्रश्न सं० 30 का उत्तरः–

प्रश्नकर्ता	उत्तर दाता
श्री कमल किशोर भगत, माननीय सदस्य विधान सभा	*श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीया मंत्री कला संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड, राँची।*

क्र०	प्रश्न	उत्तर
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड राज्य में शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेरोजगारों की नियुक्ति नहीं होने से अभ्यर्थियों की उम्र सीमा समाप्त हो रही है।	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड सरकार के कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग में कुल स्वीकृत पद 63 के विरूद्ध केवल 1 पद अनुदेशक/शारीरिक शिक्षा कार्यरत है, जो 24 जिलों का कार्य देख रहा है।	आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। बिहार सरकार द्वारा झारखण्ड सरकार को अनुदेशक शारीरिक शिक्षा के मात्र 23 पद प्राप्त हुये हैं। वर्त्तमान में एक अनुदेशक शारीरिक शिक्षा कार्यरत हैं।
3.	यदि उपरोक्त प्रश्न खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या शारीरिक शिक्षा प्रशिक्षित बेराजगारों को उम्र सीमा में छूट देते हुये कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग में शारीरिक शिक्षा एवं खेल पदाधिकारी के कुल स्वीकृत पदों पर तत्काल नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के क्रीड़ा संवर्ग में नियुक्ति हेतु नियुक्ति नियमावली प्रस्तावित है। इसके गठन के उपरान्त क्रीड़ा संवर्ग में नियुक्ति की जायगी।

झारखण्ड सरकार
कला, संस्कृति खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग

ज्ञापांक : 1/वि०स०–8–113/2014/क 362 /राँची, दिनांक 23/02/14

प्रतिलिपिः अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, झारखण्ड, राँची को उनके ज्ञाप सं0 662 दिनांक 21.02.2014 के प्रसंग में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

22/2

सरकार के उप सचिव
कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग
झारखण्ड, राँची।

94

श्री विष्णु प्रसाद भैया, माननीय स0वि0स0 द्वारा दिनांक–25.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्पसूचित प्रश्न संख्या–28 का उत्तर प्रतिवेदन।

क्र0	प्रश्न	उत्तर सामग्री
1	क्या यह बात सही है कि जामताड़ा जिला के एकमात्र औद्योगिक क्षेत्र, कानगोई है ;	स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र बदहाली के कागार पर है ;	औद्योगिक क्षेत्र मिहिजाम (कानगोई) में कुल अर्जित भूमि का रकवा 10.50 एकड़ है, जिसमें पूर्व में निर्मित आधारभूत संरचना के रूप में सड़क, कुँआ एवं विद्युत पावर सब स्टेशन अवस्थित है।
3	क्या यह बात सही है कि उक्त औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित औद्योगिक इकाईयों सरकार की उपेक्षा के कारण बंद हो गयी है ;	अस्वीकारात्मक है। वस्तुस्थिति यह है कि ये इकाईयाँ निजी पूंजी निवेश से स्थापित है। पाँच औद्योगिक इकाईयों से पूर्व में आवेदन प्राप्त हुए थे। समिति के समक्ष यह तथ्य प्रकाश में आया कि ये इकाईयाँ स्थापित ही नहीं हो पायी हैं। अतः इन इकाईयों के मामले पर विचार करना संभव नहीं था।
4.	क्या यह बात सही है कि कानगोई औद्योगिक क्षेत्र के औद्योगिक इकाईयों के पुनः चालू हो जाने से हजारों लोगों का रोजगार मिलेगा ;	इस औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित बंद एवं रूग्ण इकाईयाँ बिहार राज्य वित्त निगम के द्वारा वित्त पोषित हैं। इकाई का भू–पट्टा ऋण स्वीकृति के समय से निगम के पास बंधक है। इन इकाईयों के ऋण के भुगतान हेतु बिहार राज्य वित्त निगम के द्वारा समय–समय पर एकमुश्त निपटारा योजना घोषित किया जाता है। अतः इन इकाईयों के ऋण के पुर्नभुगतान हेतु बिहार राज्य वित्त निगम के एकमुश्त निपटारा योजना के अन्तर्गत ऋण का निपटारा कर आवेदन दिया जा सकता है। OTS कर इकाई को चालू करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी।
5.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार कानगोई औद्योगिक क्षेत्र के बद पड़ी इकाईयों को पुनः चालू कराने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कबतक नहीं तो क्यों ?	उपर्युक्त वर्णित परिस्थिति में झारखण्ड औद्योगिक नीति–2012 में किये गये प्रावधानों के अन्तर्गत इकाईयों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर राज्य सरकार नियमानुसार विचार करेगी।

झारखण्ड सरकार
उद्योग विभाग

ज्ञापांक 268 /राँची, दिनांक 24-02-2014 /
01/उ0वि0/वि0स0–16/2014

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधानसभा सचिवालय, राँची के ज्ञाप संख्या–636 दिनांक–20.02.2014 के आलोक में उत्तर की 250 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/02/14
सरकार के अवर सचिव

95

श्री दीपक बिरूवा, स०वि०स० द्वारा दिनांक 25.02.2014 को पूछा जानेवाला अल्प सूचित प्रश्न संख्या–27,

क्या मंत्री,
खान एवं भूतत्व विभाग
यह बतलाने की कृपा करेंगें कि :–

माननीय प्रभारी मंत्री–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

क्र0 सं0	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि प० सिंहभूम जिलान्तर्गत बड़ाजामदा स्थित बालाजी मेटालिक क्रशर प्लांट पिछले 2 वर्षों से बन्द रहते हुए भी आयरन ओर का अवैध कारोबार स्थानीय प्रशासन की मिली–भगत से चल रहा है;	उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है। मेसर्स बालाजी मेटालिक क्रशर के खनिज भंडारण अनुज्ञप्ति (Trading licence), consent to operate प्राप्त नहीं होने के फलस्वरूप दिनांक 25.03.2011 को रद्द कर दिया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में दिनांक 15.06.2012 तक परिचालन किया गया। वर्त्तमान में परिचालन बंद है।
2	क्या यह बात सही है कि 10 फरवरी 2014 को पुलिस अधीक्षक, चाईबासा के संयुक्त छापेमारी के दौरान उक्त प्लांट से 4 हजार मैट्रीक टन आयरन ओर तथा 4 लोडर जब्त किया गया है;	उत्तर स्वीकारात्मक है। संयुक्त छापामरी के दौरान तीन लोडर मशीन एवं 4500 मैट्रीक टन लौह अयस्क जब्त किया गया है तथा पाँच व्यक्तियों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज की गयी है।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार उक्त कारोबार में संलिप्त पदाधिकारियों/खनन माफियाओं के विरूद्ध कानूनी कार्रवाई करने का विचार रखती है, हाँ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	तदैव

झारखण्ड सरकार
खान एवं भूतत्व विभाग

ज्ञापांक–वि०स०(ता०)–19/2014 232 /एम०, राँची, दिनांकः 24-2-14

प्रतिलिपिः–अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय, राँची को उनके ज्ञाप संख्या–638 दिनांक 20.02.2014 के क्रम में 200 प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

24/2/14

सरकार के उप सचिव

(96)

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री विनोद कुमार सिंह, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ.सू.-05

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	**श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् के तहत् राज्य में बी0आर0पी0/सी0आर0पी0 कार्यरत है;	स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि उन्हें योग्यता व पद के अनुरूप मानदेय नहीं मिल रहा है, न ही आकस्मिक/मातृत्व अवकाश की लाभ दिया जा रहा है;	केन्द्र प्रायोजित सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा स्वीकृत योजना एवं बजट के अन्तर्गत निर्धारित दर पर मानदेय का भुगतान किया जा रहा है। इन्हें किसी प्रकार के अवकाश की सुविधा संप्रति अनुमान्य नहीं है।
3.	यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अन्य राज्यों के तरह उनके पद स्वीकृत करते हुए उन्हें सुविधाएँ देने की विचार रखती है, यदि हाँ, तो कब तक, नहीं तो क्यो ?	सर्व शिक्षा अभियान से संबंधित विषय पर निर्णय लेने हेतु झारखण्ड शिक्षा परियोजना परिषद् की राज्य कार्यकारिणी समिति सक्षम प्राधिकार है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-8/93-22/2014-316, राँची, दिनांक- 21/2/14

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 306, दिनांक 16.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

(97)

श्री बन्धु तिर्की, मा0स0वि0स0 से प्राप्त अल्पसूचित प्रश्न संख्या अ0सू0-22

क्या माननीय मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-

क्रमांक	प्रश्न	उत्तर
1	क्या यह बात सही है कि अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक-01.12.2004 को या उसके बाद नियुक्त शिक्षाकर्मियों को सम्मिलित करने का राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई निर्णय नही लिया गया है।	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2	क्या यह बात सही है कि वित्त विभाग के संकल्प पत्रांक-518/वि05 दिनांक-09.04.2004 के द्वारा राजकीय/राजकीयकृत प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकर्मियों को 01.12.2004 के प्रभाव से ही अंशदायी पेंशन योजना-2004 का लाभ दिया जा रहा है।	वस्तुस्थिति यह है कि वित्त विभाग के पत्रांक 518/वि5 दिनांक 09.12.2004 द्वारा झारखण्ड सरकार सरकारी कर्मचारी अंशदायी पेंशन योजना प्रख्यापित की गयी है, जो दिनांक 01.12.2004 या इसके पश्चात नियुक्त होने वाले राज्य सरकार के कर्मियों के लिये अनिवार्य रूप से लागू है। प्रश्नाधीन सरकारी विद्यालय के शिक्षाकर्मी भी राज्यकर्मी की श्रेणी में आते हैं।
3	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार अंशदायी पेंशन योजना में राज्य के गैर सरकारी सहायता प्राप्त (अल्पसंख्यक सहित) प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में दिनांक-01.12.2004 को या उसके बाद नियुक्त शिक्षाकर्मियों को सम्मिलित करने का विचार रखती है, हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	इस संबंध में निर्णय लेने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

22/1/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखंड-सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक-12/स.5(1)-64/2014.....368...../ दिनांक.....22/02/2014.....

प्रतिलिपिः- अवर सचिव, झारखंड विधानसभा सचिवालय, रांची को अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

22/1/14

संयुक्त सचिव,
मानव संसाधन विकास विभाग
झारखंड, राँची।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद सिंह, स.वि.स. से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-अ0सू0-29

क्रमांक	प्रश्न क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे किः-	उत्तर श्रीमती गीताश्री उराँव, माननीय मंत्री, झारखण्ड सरकार
1.	क्या यह बात सही है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्णता की अनिवार्यता निर्धारित करते हुए झारखण्ड राज्य में प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति नियमावली-2012 पूरे राज्य में 05 सितम्बर 2012 से प्रभावी की गई है;	उत्तर स्वीकारात्मक है।
2.	क्या यह बात सही है कि विभागीय पदाधिकारियों की उदासीनता के कारण राज्य के अल्पसंख्यक प्राथमिक एवं मध्य विद्यालयों में वर्ष 2010 से 2012 की अवधि में विधिवत् नियुक्त एवं सक्षम पदाधिकारी जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अनुमोदन के बावजूद सैकड़ों शिक्षक/शिक्षिकाओं के वेतन निर्धारण का अनुमोदन संबंधी कार्य विभाग में विचाराधीन है;	उत्तर अस्वीकारात्मक। निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 के तहत् राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्गत अधिसूचना की तिथि 23.08.10 से प्रभावी है। माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय द्वारा WP(S) no. 7939/2012, सुचिता कोंगारी बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक 27.11.13 को आदेश पारित करते हुए दिनांक 23.08.10 के बाद नियुक्त वादी शिक्षक के वेतन निर्धारण का अनुमोदन एवं वेतन भुगतान के दावे को खारिज किया गया है। उक्त अधिसूचना के आलोक में निर्धारित अहर्ता नहीं रहने के कारण 23.08.10 से 2012 तक की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के विभिन्न जिलों से प्राप्त वेतन निर्धारण का अनुमोदन के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर संबंधित जिलों को वापस किया जा चुका है।
3.	यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या विभाग 2010 से 2012 की अवधि में नियुक्त सैकड़ों शिक्षकों के वेतन भुगतान करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक?	इस खण्ड का उत्तर खण्ड-2 के उत्तर में निहित है।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक–8/9-3-28/2014-/339 राँची, दिनांक– 24/2/14

प्रतिलिपिः– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 637, दिनांक 20.02.14के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

99

झारखण्ड सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

श्री बंधु तिर्की, स0 वि0 स0 से प्राप्त अल्प-सूचित प्रश्न संख्या-25

क्र0	प्रश्न	उत्तर
	क्या मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :-	**श्रीमती गीताश्री उरांव, मंत्री, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड सरकार**
1.	क्या यह बात सही है कि दिनांक 26.06.13 को माननीय उच्च न्यायालय झारखंड, रांची द्वारा डब्लू0पी0(एस0) नं0-5966/08 में शिक्षा विभाग में कार्य कर चुके अनौपचारिक अनुदेशकों को सरकारी सेवा में समायोजन/नियुक्ति करने का आदेश सरकार को दिया गया है;	अस्वीकारात्मक। वस्तुस्थिति यह है कि प्रश्नाधीन याचिका में माननीय उच्च न्यायालय झारखंड द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC no. 8418/2010 में पारित आदेश के आलोक में वादीगण के अभ्यावेदन पर 90 दिनों के अंदर निर्णय लिया जाय। पटना उच्च न्यायालय द्वारा CWJC no. 8418/2010 में पारित आदेश के विरूद्ध बिहार सरकार द्वारा LPA no. 1489/2011 दायर किया गया, जिसमें माननीय पटना उच्च न्यायालय ने दिनांक 10.04.12 को अंतरिम आदेश पारित करते हुए CWJC no. 8418/2010 में दिये गये निर्णय पर रोक लगा दिया है। WP(S) no. 5966/2008 के सदृश्य झारखण्ड उच्च न्यायालय में दायर WP(S) no. 7867/2012 में दिनांक 26.11.13 को आदेश पारित करते हुए वादी अनुदेशकों का सरकारी सेवा में सामंजन के दावे को खारिज कर दिया गया है।
2.	यदि उपर्युक्त प्रश्न खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार शिक्षा विभाग में कार्य कर चुके अनौपचारिक अनुदेशकों को सरकारी सेवा में समायोजन/नियुक्ति करने का विचार रखती है, यदि हॉ, तो कब तक, नहीं तो क्यों?	खण्ड 1 के उत्तर से यह स्पष्ट है कि माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय ने वादी अनुदेशकों का सरकारी सेवा में सामंजन का कोई आदेश पारित नहीं किया है। अनुदेशकों के समायोजन का सरकार का कोई विचार नहीं है।

ह0/- 24/3/14

(कामेश्वर प्रसाद)

सरकार के संयुक्त सचिव।

झारखण्ड–सरकार

मानव संसाधन विकास विभाग

ज्ञापांक –8/वि3– 36 /2014.........3411.........../ रॉची, दिनांक ....24/2/14.

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 641 दिनांक 20.02.14 के आलोक में वांछित प्रतियों के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(कामेश्वर प्रसाद)
सरकार के संयुक्त सचिव।

100

तृतीय झारखण्ड विधान सभा के त्रयोदश (बजट) सत्र में दिनांक 25.02.2014 को श्री नेजामउद्दीन अंसारी, स0वि0स0 द्वारा पूछा जाने वाले अल्प–सूचित प्रश्न सं0 23 का उत्तर प्रतिवेदन :–

प्रश्न	उत्तर
1. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला में उच्च तकनिकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु एक भी सरकारी पोलिटेकनिक/इन्जीनियंरिग कॉलेज नहीं है,	1. स्वीकारात्मक।
2. क्या यह बात सही है कि गिरिडीह जिला उग्रवाद प्रभावित अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र होने के कारण यहॉ के 70% गरीब एवं मेधावी छात्र/छात्राएँ बाहर जाकर उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम नहीं है,	2. अंशतः स्वीकारात्मक।
3. यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक है तो सरकार गिरिडीह जिला के राजधनवार गावों एवं तिसरी में सरकारी पोलिटेकनिक/इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने का विचार रखती है, यदि हॉ तो कब तक, नहीं तो क्यों ?	3. (i) भारत सरकार के सहयोग से गिरिडीह जिलान्तर्गत उपायुक्त गिरिडीह द्वारा उपलब्ध कराये गये 10.00 एकड़ भूमि का प्रस्ताव जो प्रखण्ड बगोदर के अन्तर्गत ग्राम–जरमुने में स्थित है, उस स्थल पर पोलिटेकनिक के निर्माण का निर्णय लिया गया है। (ii) इन्जीनियरिंग कॉलेज खोलने के संबंध में राज्य सरकार द्वारा तत्काल कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

झारखण्ड सरकार
विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा, राँची

ज्ञापांक–वि0प्रा0/वि0स0–15/14 — 490 / राँची, दिनांक– 24.02.14

प्रतिलिपि :– अवर सचिव, झारखण्ड विधान सभा सचिवालय को उनके ज्ञापांक 645 दिनांक 20.02.2014 के आलोक में 200 प्रतियॉ के साथ/उप सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24.2.14

(चन्द्रनाथ भगत)
सरकार के अवर सचिव